

21.08.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपक्ष उपर।
वकील अभयपक्ष के निवेदन पर शर RTA ज्ञापत्र
की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं
पत्रावली का अवलोकन करने पर अधीका
ज्ञापत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार
किया जाता है। निम्न निर्णय पृथक से लिखा
जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तर्तीब
तकमील होकर शाजिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर छुले मण्डालप
में सुनाया गया।



(सुनीलकुमार चोहान)
R.A.S.